श्रीकान्त शर्मा
मंत्री
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
उत्तर प्रदेश

मंत्री
उत्तर प्रदेश

क्रमांक : 74/VIP/मं०ऊ०वि०/2021
(का) : 0522-2238071
सी.एच. 2213259
63A-63C, मुख्य भवन,
विधान भवन, लखनऊ
E-mail : officeenergyminister@gmail.com
(आ) : 0522-2236934

दिनांक : 18/3/21

समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील

प्रिय भाइयों एवं बहनों,

उत्तर प्रदेश सरकार अपने सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं 24 घंटे पर्याप्त बिजली एवं सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। विगत दिनों में घरेलू (एल0एम0वी0-1) एवं निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5) श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिलों के भुगतान में आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से लम्बें समय से लम्बित बिलों पर अर्जित ब्याज को पूरी तरह से मॉफ किये जाने की योजना लायी गयी थी, जिसकी अन्तिम तिथि 15.03.2021 थी। उपभोक्ताओं की मांग पर उन्हें ब्याज में छूट दिये जाने की इस योजना की तिथि बढ़ाते हुए 31.03.2021 कर दी गयी है।

घरेलू एवं नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ब्याज में छूट पाने का यह अन्तिम अवसर है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस योजना का पूरा लाभ उठाते हुए समय पर अपना बिल अवश्य जमा करा दें।

आपके बिल जमा करने से ही प्रदेश सरकार सस्ती एवं निर्बाध बिजली दे पाने के संकल्प को पूरा कर सकने में सक्षम होगी। प्रदेश सरकार सम्मानित उपभोक्ताओं से यह अपेक्षा भी करती है कि उनके द्वारा प्रत्येक माह प्रयोग की जा रही बिजली की कुल यूनिट का भुगतान ससमय अवश्य किया जाये तथा बिजली से सम्बन्धित शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर- 1912 पर शिकायत अवश्य दर्ज करायें एवं प्राप्त शिकायत संख्या के साथ मुझे Twitter एवं फेसबुक पर भी शिकायत भेज सकते हैं।

धन्यवाद।

आपका
श्रीकान्त शर्मा
(पं0 श्रीकान्त शर्मा)